न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 20/2019 **दायरा दिनांक : 29.01.2019**

उनवान

अब्दुल हकीम आत्मज श्री अब्दुल रजाक जी, जाति मुसमलमान, निवासी वार्ड नम्बर 9 मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– बाबू भाई पुत्र श्री अब्दुल रजाक, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम पथरिया, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2– खातून बेगम पुत्री अब्दुल रजाक पत्नी मोहम्मद सद्दीक जी, जाति मुसलमान, निवासी मिश्राटोडी, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

4– उप पंजीयक पंजीयक कार्यालय मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 21/2019 **दायरा दिनांक : 29.01.2019**

उनवान

अब्दुल हकीम आत्मज श्री अब्दुल रजाक जी, जाति मुसमलमान, निवासी वार्ड नम्बर 9 मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

1– बाबू भाई पुत्र श्री अब्दुल रजाक, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम पथरिया, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2– खातून बेगम पुत्री अब्दुल रजाक पत्नी मोहम्मद सद्दीक जी, जाति मुसलमान, निवासी मिश्राटोडी, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

4– उप पंजीयक पंजीयक कार्यालय मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री लक्ष्य भारद्वाज एवं श्री ओ पी मेहता अभिभाषक अपीलांट

की ओर से

श्री महावीर प्रसाद बैरवा एवं श्री सैफद्दीन अंसारी अभिभाषक

रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 03.02.2021**

ये दोनों अपीले समान पक्षकांर एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 124/2014 निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.01.2019 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24.01.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील संख्या 20/2019 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट वादी द्वारा एक वाद स्थायी निषेधाज्ञा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट के विरूद्ध पेश किया गया जिसमें प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा अपने हिस्से की आराजी का खाता अलग करने का काउंटर क्लेम जवाबदावे के साथ प्रस्तुत किया था । वादी द्वारा उक्त काउंटर क्लेम के जवाब में अपने

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

पिता की वसीयत को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने की प्रार्थना पत्र के साथ रेस्पोडेंट प्रतिवादी कम 2 का उक्त वसवीयतनामा के आधार पर एवं रेस्पोडेंट प्रतिवादी नम्बर 2 द्वारा उक्त वसीयतनामा आलेखित किये जाने का उल्लेख करते हुए रेस्पोडेंट कम 2 का कोई हिस्सा विवादित आराजी में न होते हुए अपीलांट एवं रेस्पोडेंट कम 1 का बराबर बराबर 1/2 – 1/2 हिस्सा होना बताकर दोनों के आधा आधा हिस्से दर्ज किये जाने की प्रार्थना की उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नम्बर 5 अलग से निर्मित की गई परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेज को रिकार्ड पर लेने से मना करते हुए जमाबंदी में हुए गलत फौती इंतकाल अब्दुल रजाक के आधार पर अपीलांट एवं दोनों रेस्पोडेंट के मध्य आराही 1/3– 1/3 के बराबर हिस्से में गलत रूप से अलग किये जाकर पृथक खाते दर्ज किये जाने के आदेश अपीलीय निर्णय द्वारा पारित किया जाकर डिक्री बनाये जाने के आदेश देते हुए विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है । निर्णय एवं डिक्री कानून, न्याय एवं तथ्यों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों व मौखिक साक्ष्य के विरूद्ध निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत फौती इंतकाल को आधार मानकर मुस्लिम परसनल लॉ के विपरीत हिन्दू लॉ के अनुसार किये गये बंटवारे किया है जो निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तनकीयात वादी के विरूद्ध तय किये जाने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.01.2019 अपास्त किया जावे ।

अपील संख्या 21/2019 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि निर्णय एवं डिक्री कानून, न्याय एवं तथ्यों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवायी का पूर्ण अवसर दिये बिना निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अपीलांट वादी द्वारा प्राथमिक डिक्री की अपील माननीय न्यायालय में समय सीमा में पेश करने के बाद भी उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बिना अंतिम डिक्री पारित करने में

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान टीनेन्सी नियम के नियम 20 व 21 में प्रदत्त बंटवारे के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही के विरूद्ध कार्यवाही कर अपीलांट के हितों के विरूद्ध आदेश पारित करने में त्रुटि की है । बंटवारा रिपोर्ट पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार नहीं की और बंटवारा रिपोर्ट पटवारी द्वारा तैयार की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.01.2019 की बंटवारा स्कीम बिना रिकार्ड पर लिये एवं बिना उक्त रिपोर्ट पर अपीलांट को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिये विधि विरूद्ध रूप से पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । बंटवारा मुस्लिम लॉ के अनुसार नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24.01.2019 अपास्त किया जावे ।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई तथा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में हमने दावा किया । इन्होंने काउंटर क्लेम में रेस्पोडेंट नम्बर 1 व अपीलांट के पक्ष में पिता ने दोनों भाइयों को जमीन बंटवारानामा से 1992 में दी । जिसको उपखण्ड अधिकारी ने 1/3 – 1/3 हिस्सा कर दिया जिसमें लडकी का भी 1/3 हिस्सा माना । बंटवारे में पुत्री को कैश देना बताया । वादग्रस्त आराजी यदि स्वअर्जित है तो बंटवारानामा अंतिम इच्छा के रूप में माना जायेगा । हमारा दावा खारिज कर काउंटर क्लेम में 1/3 – 1/3 हिस्सा कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय मुस्लिम लॉ के अनुसार बंटवारा नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने 10 दिन बाद अंतिम डिक्री पारित कर दी । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे । अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर आर डी फरवरी 2002 पेज 70, आर आर डी 1995 पेज 475, आर आर डी 14.06.2009 पेज 378 उद्धरत की ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है पैरा नम्बर 2 वाद की 1/3 हिस्सा बताया । हमने अधीनस्थ न्यायालय में काउंटर क्लेम पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत विभाजन किया है । वादी का पी डब्ल्यू 1 जिरह में कह रहे हैं कि प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 भाई बहन है । बंटवारा नहीं हुआ है । काउंटर क्लेम में जवाब में इंकार करते हैं यह दावा मैने नहीं किया । दस्तावेज के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है । इन्होंने इंतकाल की अपील नहीं की । स्टे के बाबत भी इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की । काबिज काश्त के बाबत भी विरोधाभास है । अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय व डिक्री पारित की है । अतः अपील खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने एक बंटवारानामा दिनांक 03.11.1992 को पेश हुआ जिस पर अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 के हस्ताक्षर हैं तथा अब्दुल रजाक की अंगूठा निशानी है । गवाह के रूप में इसराज अहमद व नजीर मोहम्मद के हस्ताक्षर हैं । जिसे सही नहीं मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है । बंटवारा प्रस्ताव भी पटवारी द्वारा तैयार कर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया है । बंटवारा प्रस्ताव पेश होने पर अपीलांट को सुनवायी का अवसर भी नहीं दिया गया है । आर आर डी 2002 पेज 70 की नजीर यहां चस्पा होती है जिसमें लिखा है कि विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद दोनों पक्षकारों को विधिवत रूप से सुना जाएगा । अंतिम डिक्री के समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना भी नहीं की गई है । आर आर डी 1995 पेज 475 व आर आर डी 2009 पेज 378 की नजीर यहां चस्पा होती है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री मनमाना एवं विधि के नियमों की अवहेलना कर पारित की गई है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते हैं ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 20/2019 एवं 21/2019 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.01.2019 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24.01.2019 अपास्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवायी एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करे व राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना कर एवं उभयपक्ष को सुनकर तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.05.2021 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा